भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.-1476
उत्तर देने की तारीख-09.02.2026

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रिक्त संकाय पदों को भरना

†1476. **डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:**
श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) और विश्वविद्यालयों में संकाय के रिक्त पदों को चार माह के भीतर भरने के संबंध में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए निदेशों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और अन्य केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संस्वीकृत और रिक्त शैक्षणिक पदों की कुल संख्या और रिक्त पदों का प्रतिशत, संस्थान-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना-कितना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों और उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय-सीमा, निगरानी तंत्र या दंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उच्चतर शिक्षण संस्थानों के छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली संकाय की लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 27.01.2026 के पत्र के तहत, सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री अनुभाग ने एसएलपी (आपराधिक) संख्या 13324/2024 में आपराधिक अपील संख्या 1425/2025 के मामले में दिनांक 15.01.2026 के आदेश की प्रति उच्चतर शिक्षा के सभी नियामक निकायों को अनुपालन के लिए भेजी है।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने भी दिनांक 05.02.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.01.2026 के आदेश की प्रति अनुपालन के लिए सभी केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों, उच्च और तकनीकी शिक्षा के नियामक निकायों, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजी है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए जिम्मेदार हैं।

शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और इनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय भर्ती (एसोसिएट प्रोफेसरों सहित) संस्थानों के भीतर ही, उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती की शक्तियां संबंधित शासी बोर्ड/ कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं और इसमें मंत्रालय की कोई सक्रिय भूमिका शामिल नहीं है।

राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य अधिनियमों के माध्यम से की जाती है और उनमें रिक्तियां संबंधित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा ही भरी जाती हैं। राज्य विश्वविद्यालयों की रिक्तियों का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

केन्द्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में, गुणवत्ता वाले संकाय को आकर्षित करने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें वर्ष भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय को आमंत्रण आदि शामिल हैं। संकाय भर्ती प्रक्रियाएं एक बहु-चरणीय और मजबूत स्क्रीनिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में, एक पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके, सीएचईआई द्वारा की जाती हैं। विभिन्न संस्थानों के अधिनियमों और संविधियों में चयन समितियों की संरचना, संकाय के विभिन्न स्तरों की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों का प्रावधान और विजिटर नॉमिनी आदि को निर्दिष्ट किया गया है ताकि भर्ती में पारदर्शिता और शैक्षणिक दृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक सांझा पोर्टल 'सीयू-चयन' लॉन्च किया है, जो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान करता है, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो जाती है।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीएचईआई से मिशन मोड में अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया गया था। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई से मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का आग्रह किया था। सितंबर 2022 से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू), आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी सहित सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 24.10.2025 (अर्थात रोजगार मेले की 17वीं किश्त की तारीख) तक, मिशन मोड में 17494 संकाय पदों सहित सभी सीएचईआई द्वारा कुल 29979 पद भरे गए हैं। इन 29979 पदों में से, उक्त अवधि के दौरान, सीयू, आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी ने सामूहिक रूप से 16594 संकाय पदों सहित 28024 पदों को भरा है।

*****